आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– .... से ....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 55 / सन–2024– 25

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क्र0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
09.04.2025	–:आदेशः – यह विविध वाद अभिलेख सं0– 55 / 2024– 25 आवेदिका सुदामा देवी, पति– हरि रविदास, साकिन– सिंगारडीह, थाना– परसना ओ0 पी0, धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0– 10, श्री कंचन कुमार के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि ग्राम– सिंगारडीह थाना नं0– 287 के अन्दर प्लॉट नं0– 522, रकवा– 10 डी0 से संबंधित है। प्लॉट नं0– 522, रकवा– 10 डी0 भूमि के संबंध में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आवेदिका सुदामा देवी, पति – हरि रविदास का मकान कई वर्ष पुराना है एवं इस मकान में सुदामा देवी सपरिवार निवास करते आ रही है। प्रथम दृष्टया में पाया गया कि सुदामा देवी जिस मकान में निवास करती है, वह कई साल पुराना मिट्टी का मकान बना हुआ है। आगे उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि सुदामा देवी द्वारा प्रस्तुत कागजात का राजस्व अभिलेखों से मिलान किया। उक्त भूमि सुदामा देवी के पति हरि रविदास को प्लॉट नं0– 522 में 10 डी0 भूमि वासगीत पर्चा द्वारा प्राप्त है। सर्वे खतियान के अनुसार आवेदित भूमि ग्राम सिंगारडीह थाना नं0– 287 खाता सं0– 29, प्लॉट नं0– 522, रकवा– 0.15 एकड़ भूमि बकास्त खाते की है। आवेदिका के पति हरि रविदास को प्लॉट नं0– 522 में रकवा– 0.15 एकड़ के मध्ये 0.10 एकड़ भूमि वासगीत पर्चा केश नं0– 6 / 91 – 92 द्वारा प्राप्त है। जिसकी जमाबंदी भौतिक पंजी– II के पृष्ठ सं0– 170 भो0– II पर कायम है। पुनः प्रतिवेदित करते है कि हरि रविदास को मिली पर्चा में खाता सं0– 40 अंकित है, जो गलत है। सही खाता सं0– 29 होना चाहिए। अतः खाता सं0– 40 के स्थान पर सुधार करते हुए सही खाता सं0– 29 अंकित करने की अनुशंसा की जाती है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में हरि रविदास का भूमि वासगीत पर्चा केश नं0– 6 / 91 – 92 में खाता सं0– 40 के स्थान पर सुधार कर खाता सं0– 29 दर्ज करने तथा तदनुसार मौजा– सिंगारडीह / 287 के ऑनलाईन पंजी– II के भाग सं0– 02, पृष्ठ सं0– 170 पर कायम जमाबंदी में खाता सं0– 40 के स्थान पर खाता सं0– 29 सुधार करने के निमित आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में श्री हरि रविदास का भूमि वासगीत पर्चा केश नं0– 6 / 91 – 92 में खाता सं0– 40 के स्थान पर सुधार कर खाता सं0– 29 दर्ज करने तथा तदनुसार मौजा–	

	सिंगारडीह / 287 के ऑनलाईन पंजी– II के भाग सं0– 02, पृष्ठ सं0– 170 पर कायम जमाबंदी में खाता सं0– 40 के स्थान पर खाता सं0– 29 सुधार करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 10 एवं अंचल निरीक्षक, धनवार को उपरोक्त आदेश का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 09.04.25 09.04.25 **अंचल अधिकारी, धनवार।** **अंचल अधिकारी, धनवार।**	

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.04.09 12:54:39 +05:30
Location: 192.168.53.66